से चल कर दिल्ली आते थे। उनको ले जाने की सुविधा होनी चाहिये थी, क्योंकि वे रेल से आते थे। उसके बाद उन पर कड़ी निगरानी हो, इसके लिये अफसरों की अधिकारियों की जरूरत होती। फिर यह देखना था कि कहीं लीकेज न हो। ये सारी ऐसी कठिनाइयां हैं, जो व्यावहारिक कठिनाइयां कही जा सकती हैं। इसके अलावा दूसरे मुल्कों में ऐसे कोई ड्राई पोर्ट नहीं हैं, जिनके तजुर्बे को हम हासिल करें, कुछ ऐसा इंतजाम कर भी सकें। इसलिये व्यावहारिक कठिनाइयां इतनी अधिक हैं कि इस पर विचार नहीं किया जा सका।

MR. CHAIRMAN: Very long answer.

SHRI B. K. P. SINHA: May I know what consequences flow from declaring an inland city as a dry port? What are the consequences that flow?

SHRI B. R. BHAGAT: The consequences are, whatever customs and clearance facilities are existing at Bombay and Calcutta should be provided at Delhi and goods should travel up from Calcutta or Bombay to Delhi.

DR. RAGHUBIR SINH: May I know what steps Government propose to take for removing the difficulties of the Chamber of Commerce of Delhi after having rejected the request for Delhi being declared a dry port?

SHRI B. R. BHAGAT: A number of steps have already been taken to remove some of the difficulties mentioned in the representation. For example for relieving the congestion at the ports, various mechanical devices and other things have been introduced and some are under contemplation. Then about custom facilities or clearance facilities, a special High Power Committee has been appointed which is going into the matter and every effort is being made regarding both congestion at the ports as well as other facilities and to see that the rules are simplified.

SHRI KISHEN CHAND: Is it a fact that the opening of Kandla port has more or less replaced Karachi and the difficulties felt by the Delhi people are no longer applicable?

SHRI B. R. BHAGAT: Yes. When Kandla port is fully developed it will relieve the congestion.

दिल्ली में जाली पासपोर्ट और वीसाओं वाले पाकिस्तानी राष्ट्रिक

*६८. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जाली पासपोर्ट और वीसा लेकर भारत में प्रवेश करने के कारण पिछले दो मास में दिल्ली में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक गिरफ्तार किये गये;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों को अदालतों से सजायें हुईं ; और

(ग) उक्त अवधि में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिक ठीक पासपोर्ट लेकर भारत आये ?

t [PAKISTANI NATIONALS IN DELHI ON FORGED PASSPORTS AND VISAS

*68. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Pakistani nation als apprehended ir Delhi during the last two months for entering India on forged passports and visas;

(b) the number of such persons punished by courts; and

(c) the number of Pakistani nation als who came to India on genuine passports during the same period?]

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री बी० एन० दातार) : (क) ८।

(ख) किसी को नहीं।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री नवाब सिंह चौहान : क्या सरकार अपनी तरफ से ऐसे लोगों के विरुद्ध जो या तो गैर-कानूनी तरीके से या नकली पासपोर्ट के जरिये से हिन्दुस्तान आ जाते हैं, इस प्रकार की कोई जानकारी करा रही है . . .

SHHI D. A. MIRZA: Sir, we have not followed the answer. May I request the hon. Minister to give it in English?

SHRI B. N. DATAR: The answer is very simple.

[The Minister then read out the answer in English which follows.]

t[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): (a) Eight.

(b) Nil.

(c) The information is being col lected and will be laid on the Table of the House as soon as it is availa ble.]

श्री नवाब सिंह चौहान : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार प्रति मास इस प्रकार की कोई जानकारी हासिल कराती है कि कितने लोग पाकिस्तान से कानूनी वीजा या पासपोर्ट लेकर आये, कितने जाली ले कर आये और कितने बगैर उस के आये ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त : बराबर इस का ध्यान रखा जाता है कि लोग बिना पासपोर्ट के न आयें, बिना इजाजत के न आयें और यदि वैसे आयें तो उनको पकड़ा जाय । मगर इस की कोई फैहरिस्त तो बन नहीं सकती क्योंकि पासपोर्ट से आने वालों की तो रहती है लेकिन बिना पासपोर्ट के आने वालों की नहीं रहती । इस के लिये कोई रूल्स बन नहीं सकते ।

डा० रघुबीर सिंह : जो जाली पासपोर्ट ले कर यहां आते हैं, उनको सजा देने के लिये क्या आयोजन है ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त : सजा देने के लिये कानून में एक तरमीम की गई थी, आप को शायद ख्याल हो, जिस से कि उनको भी फारेनर्स ऐक्ट के अन्दर रखा गया है, जिससे फारेनर्स ऐक्ट के मुताबिक उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

डा० रघुबीर सिंह : जो लोग ऐसे आये थे, उनको सजा क्यों नहीं दी गई ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त : पुराने कानून में उनको केवल तीन महीने की सजा हो सकती थी, और वहां से, ऐम्बेसी से, लोगों को बुलाना था और मुकद्दमा चलता तो महीनों लगते । इसलिये यह बेहतर समझा गया कि उनको यहां से वापस भेजा जाये ।

श्री व्यंकट कृष्ण राव : क्या मैं यह दर्याफ्त कर सकता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसा इंतजाम है कि जिससे वह दर्याफ्त कर सके कि वक्त ब वक्त कोई ऐसा शख्स यहां बगैर किसी पासपोर्ट के न आये ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त : जी हां, इंतजाम है । जो जुर्म होते हैं उनको रोकने के लिये है और इसके लिये भी है ।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : क्या सरकार को यह इल्म है कि ये आदमी पासपोर्ट लेकर आते हैं और फिर यहीं रह जाते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार यहां होते हैं ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त : जो अपने पास-पोर्ट की मियाद बढ़ा लेते हैं वे तो रहने के लिये हकदार हो जाते हैं, जो वैसे रह जाते हैं जहां कहीं पकड़े जाते हैं, उन पर कार्यवाही की जाती है ।